


न्यायाधीश
राजेश कुमार शर्मा
जयपुर

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा यह उल्लिखित
प्रमाणों के द्वारा प्रा.पत्र (0) 13 (R) 1, 2, 3 CPC
का उल्लेख करने हेतु अवसर चाहा गया जो
पत्रावली तहत जवाब प्रा.पत्र
(0) 13 (R) 1, 2, 3 दिनांक 09/04/2024 को
पेश है।


S.P.O.

अभिज्ञासक संघ द्वारा A.D.J कार्ड
की मूल की लेकर न्यायिक कार्य व्यक्तित्व
को पेश की जावे।
दिनांक 05/02/24

B.O.

S.P.O.

पत्रावली पेश हुई। वारी व अधिवक्ता वारी न्यायालय में
अनुपस्थित। वारीजन की न्यायालय द्वारा न्यायालय
व्यय में तीन वर्ष अलग-अलग समर्थ पर आज्ञा
लुप्तवाह गई कवजूर वारीजन व अधिवक्ता वारी न्यायालय
में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में प्रकरण में वारी
की ओर से पेशी हेतु उपस्थित नहीं होने से वाद-
पत्र की इसी स्तर पर अद्यम दायिरी अद्यम पेशी में
शामिल किया जाता है। पत्रावली फसल शुमार होकर
दर्ज शिक्कर से कम की जाकर शामिल इफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

